icmr | NIRTH
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH IN TRIBAL HEALTH
An ISO 9001:2015 Certified Institute

आई सी एम आर – राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Research in Tribal Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

किराये पर वाहन लेने बावत सूचना

आई.सी.एम.आर. रा.ज.स्वा.अ.सं. नागपुर रोड, गढ़ा, जबलपुर द्वारा अनुसंधान कार्य से मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण व आसपास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा करने के लिए व टैक्सी परमिट (ऑल इण्डिया, मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ एवं आवश्यकतानुसार अन्य राज्य) वाले वाहन जैसे स्कार्पियो, बोलेरो, व तवेरा, इनोवा, मिनी बस 16 सीटर ,ट्रेवलर एवं 12 सीटर एवं तूफान 14 सीटर एवं फोर व्हील ड्राइव हल्के वाहन,पिकअप वैन जो 03 वर्ष से अधिक पुराने न हो, को किराए पर उपलब्ध कराने के लिये अलग–अलग निविदायें समस्त खर्चों, करों के साथ डीजल(आइल छोड़कर)मासिक एवं प्रतिदिन (समस्त खर्चों सहित) के आधार पर दिनांक–12.08.2020 के दोपहर 4:00 बजे तक नियत प्रपत्र पर वाहन के समस्त विवरण व संबंधित कागजातों की छायाप्रति के साथ आमंत्रित की जाती हैं। जिनकी वैधता दिनॉक 1/9/2020 से 31/8/2021 तक की अवधि के लिये होनी चाहिए। विलंब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदायें प्रस्तुत करने के पूर्व लिखित आवेदन ,फर्म के लेटर हेड पर, देकर निविदाओं संबंधी नियम व शर्तें व निविदा प्रस्तुत करने का नियत फार्म रू.100/–(जो वापसी योग्य नहीं है) नकद या बैंक ड्राफ्ट के मार्फत जमा कराकर कार्यालयीन दिवस व समय में अंतिम तिथि यानि दिनांक–12.08.2020 के दोपहर 2:00 बजे तक वाहन अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें केन्द्र के वेबसाइट **www.nirth.res.in** पर भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए निविदा प्रपत्र के साथ रू.100/–(एक सौ रूप्ये) (जो वापसी योग्य नहीं है) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, वाहन स्वामियों को निविदाओं के साथ ई.एम.डी. राशि रू.5000/–(पॉच हजार रूप्ये मात्र) जो निदेशक, आई.सी.एम.आर. – एनआईआरटीएच, जबलपुर को देय होगा, निविदा पत्रों के साथ जमा करना होगा ऐसा न होने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिस पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिन्हें नियत समयावधि में **निदेशक आईसीएमआर.–एनआईआरटीएच नागपुर रोड, गढ़ा, जबलपुर** को मुहर बंद लिफाफे पर वाहन किराये पर लगाने हेतु निविदा लिखकर दिनांक–12.08.2020 के दोपहर 4:00 बजे तक कार्यालय को प्रेषित/जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेंगी।

निदेशक

(ज्ञानचंद जैन)/(GYANCHAND JAIN)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / Sr. Administrative Officer
आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
ICMR-National Institute of Research in Tribal Health
D.H.R. Ministry of Health, Govt. of India
जबलपुर (म.प्र.) / Jabalpur (M.P.)- 482003

एन.आई.आर.टी.एच. परिसर, नागपुर रोड, पो.ऑ. गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482 003, भारत
NIRTH Complex, Nagpur Road, P.O. Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh - 482 003, India
Tel: +91-761-2370800
Fax: +91-761-2672835
www.nirth.res.in

विश्व स्वास्थ्य संगठन
जनजाति स्वास्थ्य के लिए सहयोगी केंद्र
World Health Organization
Collaborating Centre for the Health of Indigenous Populations

<u>वाहन किराये पर लगाने बावत् फॉर्म</u>

प्रति,

निदेशक महोदय जी
आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
नागपुर रोड, पो.ऑ.-गढा, जबलपुर

विषयः- वाहन किराये पर लगाने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत, मैं अपने वाहन जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, को आपके कार्यालय में आपकी शर्तो के अधीन दिनांक 01/09/2020 से 31/08/2021 तक किराये पर लगाना चाहता हूँ जिसके लिये मैं अपनी न्यूनतम दरें समस्त खर्चो/व्ययों (जिनमें वाहन का मरम्मत-सुधार कार्य, टेक्स, इंश्योरेन्स, वेटिंग व हॉल्टिंग एवं वाहन चालक आदि के व्यय सम्मिलित है) नीचे दिये नियत प्रारूप में वाहन से संबंधित समस्त कागजात जैसे- वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, इंश्योरेन्स, टेक्सी परमिट व वाहन स्वामी होने का प्रमाण आदि की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरें उपरोक्त अवधि के दौरन बिना किसी बदलाव के प्रभावी रहेंगी।

क्र.	वाहन का विवरण	किराया प्रति दिन की दरें		किराया प्रति माह की दरें		अन्य व्यय, यदि कोई हो
		स्थानीय	बाहर	स्थानीय	बाहर	
1.	स्कार्पियों					
2.	बोलोरो					
3.	तबेरा					
4.	इनोवा					
5.	मिनी बस (16 सीटर)					
6.	ट्रेवलर (12 सीटर)					
7.	तूफान (14 सीटर)					
8.	पिकअप वैन					
9.	फोर व्हील ड्राइव, हल्के वाहन					

यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे किराये पर वाहन लगाये जाने संबंधी नियम एवं शर्तें पूर्णतः मंजूर है। यदि मेरे वाहन/वाहनों को किराये पर कार्यालय द्वारा लिया जाता है तो मैं कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर नियत समय व तिथि को अपना वाहन भेजूंगा। इस सहमति के साथ मैंने अपनी दरें प्रस्तुत की हैं।

<u>संलग्नः</u>- गाडियों से संबंधित कागजात।

भवदीय

( )

पूरा पता-....................................

....

....

<u>नोटः-</u> निविदाकार या तो अपने फर्म के लेटर हेड पर दरें प्रस्तुत करेगा या अपनी फर्म की सील लगाकर इस फार्म को भरेगा।

किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के नियम एवं शर्तें

1. निम्न वाहनों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैः–

    1. स्कॉरपियों
    2. बोलेरो
    3. तवेरा
    4. इनोवा
    5. मिनी बस 16 सीटर
    6. ट्रैवलर 12 सीटर
    7. तूफान 14 सीटर
    8. पिकअप वैन
    9. फोर व्हील ड्राइव हल्के वाहन

2. वाहन (अधिकतम 3 वर्ष से अधिक नहीं पुराने) होने चाहिए, जिसके लिए प्रमाणस्वरूप निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
3. **टैक्सी परमिट** (ऑल इण्डिया/मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) वाले वाहनों की निविदाओं को ही स्वीकार किया जावेगा।
4. वाहन में सभी प्रकार की विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे–रोड टैक्स, इंश्योरेन्स, रोड परमिट पीयूसी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ।
5. किराए पर लिए गए वाहन को म0प्र0 एवं छत्तीसगढ़ व आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के शहरी, ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में दौरे के लिए उपयोग किया जाएगा।
6. वाहन स्वामी प्रत्येक वाहन की अलग–अलग दरें स्थानीय एवं बाहर के लिए दो प्रकार से प्रस्तुत करें, जिसमें समस्त कर, सेवा कर, व्यय, सुधार/मरम्मत व वाहन चालक का व्यय एवं अन्य वाहन से संबंधित संभावित खर्च सम्मिलित हों व दरें कम से कम एक वर्ष तक निविदा प्रपत्र मे दर्शायी गई अवधि के लिये वैध होनी चाहिए। अनुबंध आपसी सहमति व संतोषजनक कार्य के आधार पर आगे भी बढाया जा सकता हैं ।

7. कार्यालय द्वारा वाहन से संबंधित किसी प्रकार का व्यय, जैसे– वाहन सुधार/मरम्मत व अन्य खर्च (सिवाय डीजल व ऑयल के जो वास्तविक व्यय या कम से कम वाहन के लिए एवं 10 किमी. प्रति लीटर ए.सी. वाहन के लिए की दर व 1000 किमी. पर 1 लीटर एवं 500 किमी. पर आधा लीटर ऑयल को छोड़कर) वहन नहीं किया जाएगा और न ही कोई नाइट हाल्ट या अन्य प्रभार दिया जावेगा। यदि वाहन ड्यूटी के दौरान खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी को या तो वाहन तुरन्त सुधरवाना होगा या फिर दूसरा वाहन उसी जगह भेजकर उपलब्ध कराना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो वाहन का उसके बाद किराया व अन्य जायज व्यय कोई होगा तो काट लिया जावेगा।

8. उन्हीं वाहन स्वामियों की निविदाएं स्वीकार की जाएंगी, जिनकी फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड हैं एवं जिनके स्वामित्व में कम से कम तीन वाहन हैं, इसका प्रूफ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं **PAN Number** प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।

9. वाहन स्वामी को कुशल अनुभवी एवं लाइसेन्सधारी वाहन चालक जिसका अनुभव कम से कम 5 वर्ष का हो, उपलब्ध कराना होगा । वाहन स्वामी द्वारा वाहन भेजते समय वाहन चालक को परिचय पत्र दिया जाना चाहिए एवं उसका समस्त प्रकार का खर्च (स्थानीय एवं बाहर के लिये) वाहन स्वामी हो वहन करना होगा।

10. स्थानीय ड्यूटी या फील्ड भ्रमण के दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना/विवाद आदि के लिए वाहन स्वामी स्वयं जवाबदार होगा, कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. फील्ड पर जाने वाले बडे वाहन में कैरियर होना चाहिए।

12. वाहन को कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही बुलाया जाएगा और वाहन स्वामी को मांगे गए नियत स्थान, समय व तारीख पर वाहन समस्त सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना होगा।

13. वाहन स्वामी को वाहन की निविदा देते समय वाहन से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे– वाहन का नाम, मॉडल, मेक (निर्माण वर्ष), वाहन के पंजीयन की तारीख, बीमा की वैधता, वाहन का प्रकार व अन्य जानकारी आदि का ब्यौरा तत्संबंधी प्रमाण की छायाप्रति के साथ संलग्न कर निविदाएं जमा करनी होंगी।

14. निविदाएं इस प्रकार भेजी जानी चाहिए, जिससे वे नियत तिथि या इसके पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो जाएं, अन्यथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. निविदाओं की प्राप्ति की **अंतिम तारीख** 12.8.2020 के सायँ 4:00 बजे तक है। प्राप्त निविदाओं को बाद में खोला जावेगा।

16. निविदा प्रपत्र व उससे संबंधित नियम एवं शर्तों की कीमत रू. 100/–(एक सौ रूप्ये मात्र) है जो वापसी योग्य नहीं है।

17. डाक या कोरियर द्वारा टेंडर भेजे जा सकते है अथवा कार्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में भी टेंडर डाले जा सकते हैं । नियत तिथि तक प्राप्त निविदाएँ ही स्वीकार की जावेगी।

18. वाहन स्वामियों को निविदाओं के साथ ई.एम.डी.राशि रू. 5000/–(पॉच हजार मात्र) जो निदेशक आईसीएमआर एनआईआरटीएच जबलपुर को देय होगा, निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा ऐसा न होने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा । असफल निविदाकारों कि ईएमडी डाक द्वारा या कार्यालय में प्रूफ प्रस्तुत करने पर लौटा दी जायेगी ।

19. सफल निविदाकारों को रूप्ये 100/–(एक सौ रूप्ये) नॉन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध निदेशक आईसीएमआर एनआईआरटीएच के पक्ष में निष्पादित करना होगा।

20. सिक्योरिटी डिपाजिट 10000/–(दस हजार रूप्ये मात्र) एफ.डी.आर. या बैंक ड्राफ्ट निदेशक आईसीएमआर. –एनआईआरटीएच के नाम देय होगा, जो अनुबंध की अवधि समाप्ति के उपरान्त लौटाई जावेगी।

21. कम से कम चार प्रकार के वाहनों की दरें न्यूनतम होने पर ही कार्यालय द्वारा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा नहीं।

22. एक माह से अधिक की अवधि के लिए वाहन के देयक का भुगतान मासिक दर पर किया जाएगा ।

23. कार्यालय द्वारा अनुबंध की अवधि में डीजल,पेट्रोल,आयल इत्यादि समय–समय पर दरों में कमी या वृद्वि होने के बावजुद दरों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा । अतः निविदाकार इसे ध्यान में रखते हुए निविदा प्रस्तुत करें ।

24. निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार या आंशिक स्वीका करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो सभी को मान्य होगाए जिस पर किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी ।

प्रति,

निविदाकार का पता–